न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 451 सन 2020

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
2. पार्वती 3 कमला 4. इन्दरादेवी पुत्रीयान लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सरोज पत्नी धर्मपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
6. प्रवीण कुमार पुत्र धर्मपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. प्रियंका पुत्री धर्मपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बेनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 132/132 की कुल 1.9480हैक व रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 87/132 की कुल 0.6330हैक भूमि वर्तमान में लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड है वादी के पिता लालचन्द पुत्र हीराराम का देहान्त हो चुका है लालचन्द पुत्र हीराराम के देहान्त होने के वाद लालचन्द पुत्र हीराराम की भूमि के उसके पुत्र पुत्रीया जायज वारिसान है ।

लालचन्द पुत्र हीराराम के पुत्र पुत्र पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है एवं लालचन्द पुत्र हीराराम के एक पुत्र धर्मपाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसन प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है इसप्रकार लालचन्द पुत्र हीराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने मृतक लालचन्द की पत्नी/पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 7 धर्मपाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम से दर्ज है जो वादी के पिता है जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 132/132 की कुल 1.9480हैक व रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 87/132 की कुल 0.6330हैक भूमि वर्तमान में लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम से राजस्व रिकार्ड है वादी के पिता लालचन्द पुत्र हीराराम का देहान्त हो चुका है लालचन्द पुत्र हीराराम के देहान्त होने के वाद लालचन्द पुत्र हीराराम की भूमि के उसके पुत्र पुत्रीया जायज वारिसान है ।

लालचन्द पुत्र हीराराम के पुत्र पुत्र पुत्रीया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है एवं लालचन्द पुत्र हीराराम के एक पुत्र धर्मपाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसन प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 है इसप्रकार लालचन्द पुत्र हीराराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम से दर्ज भूमि पाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने मृतक लालचन्द की पत्नी/पुत्रीया है एवं प्रतिवादी संख्या 7 धर्मपाल की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 132/132 की कुल 1.9480हैक व रोही मोजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 87/132 की कुल 0.6330हैक भूमि वर्तमान में लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम सें दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 रोही मौजा चक 13 केएनएन, 1 आरपीएम के अनुसार वाद भूमि लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि वादी के पिता लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है लालचन्द पुत्र हीराराम के एक पुत्र धर्मपाल का भी देहान्त हो चुका है लालचन्द के जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्रों से सावित है अर्थात रत्तु पुत्र मेघराज के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से वाद भूमि अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 स्वय उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 132/132 की कुल 1.9480हैक्ट व रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 87/132 की कुल 0.6330हैक्ट भूमि जो लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 ता 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का वहिव 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/05/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामप्रताप पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामप्यारी पत्नी लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
2 पार्वती 3 कमला 4. इन्दरादेवी पुत्रीयान लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 सरोज पत्नी धर्मपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
6 प्रवीण कुमार पुत्र धर्मपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7 प्रियंका पुत्री धर्मपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रतनपुरा तहसील नोहर
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 451 सन 2020 निर्णय दिनांक– 11/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 13 केएनएन के खाता संख्या 132/132 की कुल 1.9480हैक व रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 87/132 की कुल 0.6330हैक भूमि जो लालचन्द पुत्र हीराराम के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 का बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner